B-2

L-9

दिनांक
03-11-23

→ धन की निकासी का प्रभाव :-

- धन की निकासी के कारण भारत में पूंजी उपलब्धता कम होने लगी, उत्पादक कार्यों में निवेश नहीं किया जा सका जिससे नई पूंजी का सृजन भी नहीं हो सका और इस तरह हमारे धन की सतत निकासी और नई पूंजी का सृजन न होने से भारत गरीबी के दुष्चक्र में फंसता चला गया।

नौरोजी के अनुसार 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक भारत से 150 करोड़ पाउंड की निकासी की गयी और भारत की प्रति व्यक्ति आय मात्र 20 रुपये पर सिमट गयी।

- भारत से भेजे गये धन को ऋण/निवेश के रूप में अंग्रेजों ने पुनः भारत भेजा और इस पर अधिक ब्याज निर्धारित कर और अधिक धन की निकासी को बढ़ाया और भारत को एक ऋण दुष्चक्र में फंसा दिया जिससे बाहर निकलना मुश्किल था और इसी सन्दर्भ में धन की निकासी को नौरोजी ने अनिष्टों में अनिष्ट कहा।

- धन की निकासी के फलस्वरूप भारत की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था प्रभावित होने लगी और अंग्रेजों द्वारा हमारे परम्परागत उद्योगों को नष्ट करने तथा नयी आवश्यकता के अनुसार आधुनिक उद्योगों की स्थापना व संरक्षण न दिये जाने से भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पर पूरी तरह निर्भर बना दिया गया।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES

- धन की निकासी केवल पूंजी या संपत्ति के रूप में ही नहीं की गयी बल्कि हमारे खाद्यान को भी जबरदस्ती ब्रिटेन भेजा गया और यहां तक कि अकाल के समय जब भारतीयों को इसकी अधिक जरूरत थी तब भी अपने औद्योगिक मजदूरों के लिए इसे ब्रिटेन भेजे जाने से भारत में भुखमरी की स्थिति को और बढ़ा दिया।

नौरोजी ने धन की निकासी सिद्धान्त का तथा भारत पर इसके दुष्प्रभावों का इतना मार्मिक व सजीव विश्लेषण किया कि जागरूक भारतीयों को यह एहसास होने लगा कि औपनिवेशिक शासन भारत को आधुनिक बनाने का कार्य नहीं कर रहा बल्कि इस धन की निकासी ने दीमक की तरह भारत को अन्दर से खोखला कर दिया और भारत गरीबी, बेरोजगारी और अकालों का देश बन कर रह गया।

धन की निकासी के विश्लेषण ने आर्थिक राष्ट्रवाद को जन्म दिया और अंग्रेजों की शोषणकारी नीति के विरुद्ध भारत के हितों की रक्षा करने के लिए शिक्षित मध्यवर्ग एकजुट होने लगा और यही आर्थिक राष्ट्रवाद बाद में राजनैतिक राष्ट्रवाद की प्रेरणा बना।

यद्यपि ब्रिटेन के दृष्टिकोण से भारतीय पूंजी की निकासी अत्यधिक लाभदायक सिद्ध हुई और ब्रिटेन दुनिया का पहला औद्योगिक देश बन गया इसी सन्दर्भ में कहा जाता है "यदि प्लासी की लूट का माल और भारत की पूंजी ब्रिटेन न भेजी जाती तो संभवतः

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति भी ना होती।

प्रश्न- भारत में ब्रिटिश शासन को साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने भारत के लिए वरदान साबित करने का प्रयास किया किन्तु नौरोजी के धन की निकासी सिद्धांत के विश्लेषण ने अंग्रेजों के वास्तविक चरित्र की पोल खोल दी।

भू-राजस्व व्यवस्था

- भारत सामान्यतः कृषि प्रधान देश रहा है स्वभाविकतः राजस्व का प्रमुख स्रोत भू-राजस्व ही माना जाता रहा है अतः जब भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व कायम हुआ तो औपनिवेशिक हितों के अनुसार अंग्रेजों ने विभिन्न भौगोलिक, सामाजिक व प्रशासनिक परिस्थितियों के आधार पर भारत में मुख्यतः तीन प्रकार की भू-राजस्व व्यवस्थायें लागू की।
- 1765 की इलाहबाद की संधि से अंग्रेजों ने दीवानी का अधिकार प्राप्त करने के बाद भू-राजस्व मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू किया तथा पहली बार वारेन हेस्टिंग्स ने इसे व्यवस्थित रूप देने के क्रम में पंचवर्षीय व्यवस्था को अपनाया किन्तु जब सफल ना हो सका तो उसने एक वर्षीय कर दिया और उसने इजारेदारी (नीलामी) प्रथा को बढ़ावा दिया

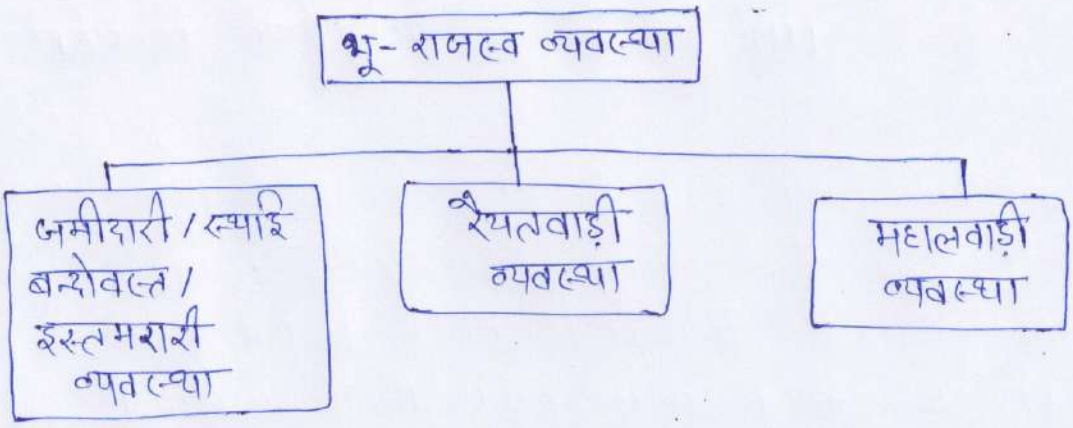

जमींदारी / स्थाई बन्दोबस्त :-

- लॉर्ड कार्नवालिस ने 1790 में जमींदारों को भू-स्वामी मानते हुये और उन्ही के साथ राजस्व वसूली का दायित्व निर्धारित करते हुये पहले दस वर्षीय व्यवस्था लागू की किन्तु 1793 में इसे स्थायी बन्दोबस्त का रूप दे दिया अर्थात अब राजस्व की दर में कोई परिवर्तन नही किया जा सकता था
- यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के लगभग 19% भाग पर लागू की गयी जिसमें बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बनारस तथा उत्तरी मद्रास का क्षेत्र शामिल था।

इस व्यवस्था को अपनाने के कारण :-

- इस व्यवस्था को अपनाने का मुख्य कारण अधिकतम राजस्व वसूली और उसकी निरंतरता को बनाये रखना था क्योंकि अंग्रेजों को यह एहसास था कि साम्राज्य विस्तार व प्रशासनिक सुदृढीकरण के लिये ठोस आर्थिक

आधार क्या होना आवश्यक है।

- जमीदारों को अपना सहायक चुनने के पीछे भी अंग्रेजों के निम्नलिखित तर्क थे-

[a] प्रारम्भ में अंग्रेजों के पास एक तरफ तो अधिकारियों की कमी थी तो दूसरी तरफ वे भारत की कृषि व्यवस्था से वाकिफ भी नहीं थे। अतः उनकी विवशता थी कि प्रशासनिक आर्थिक कार्यों में भारतीय वर्ग का सहयोग लिया जाये और इस वर्ग के रूप में उन्होंने जमीदारों को चुना।

[b] बंगाल में जमीदारी वर्ग पहले से ही उपस्थित था जो आर्थिक प्रशासनिक दायित्व निभाता रहा था अतः इन्हें सहयोगी बनाने से प्रभावी राजस्व वसूली के साथ ही गांवों में शांति व्यवस्था भी बनाये रखे जा सकती थी और अंग्रेजों का यह भी आकलन था कि यदि लगान वसूली के विरुद्ध असंतोष उत्पन्न हो तो वह जमीदारों के प्रति हो न कि ब्रिटिश सत्ता के प्रति।

[c] ब्रिटिश विद्वानों के अनुसार इस व्यवस्था को अपनाने के पीछे एक सकारात्मक प्रेरणा थी कि जमीदार अपने क्षेत्र में सिंचाई उर्वरक व नई तकनीक का प्रयोग कर उत्पादन को बढ़ावा देगा और यहां तक कि बंजर क्षेत्रों में भी उत्पादन को बढ़ावा देगा तथा स्थाई बन्दोबस्त होने से किसानों को यह निश्चितता रहेगी कि उन्हें प्रतिवर्ष कितना लगान देना है इसीलिए अंग्रेजों ने इसे श्रेष्ठतम मंतव्यों से प्रेरित बताया।

KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR Kes IAS

प्रावधान :-

- राजस्व वसूली का 10/11 वां भाग सरकार का तथा शेष 1/11 वां भाग जमींदारों हेतु नियत किया गया और सामान्यतः राजस्व की दर 50% मानी गयी किन्तु इसे अधिक स्पष्ट ना किये जाने से राजस्व वसूली अधिक होती रही।

- 1794 में एक संशोधन के द्वारा सूर्यास्त का नियम लाया गया जिसके तहत यदि कोई जमींदार निश्चित तिथि के सूर्य अस्त होने से पहले राजस्व जमा करने में असमर्थ रहा तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जायेगी

- 1799 व 1812 के संशोधन से यह प्रावधान लाया गया कि यदि कोई किसान लगान देने में असमर्थ रहा तो न्यायालय की पूर्व अनुमति के बगैर भी जमींदार उस किसान की चल व अचल संपत्ति जब्त कर सकता है।

प्रभाव :-

- अंग्रेजों की जमींदारी व्यवस्था ने भारतीय कृषि संरचना में एक त्रिस्तरीय व्यवस्था को जन्म दिया जिसमें सरकार व किसान के बीच मध्यस्थ वर्ग के रूप में जमींदार वर्ग स्थापित होता गया।

उल्लेखनीय है कि परंपरागत रूप से जमींदार व किसानों के बीच वंशानुगत, सामाजिक- आर्थिक तथा भावनात्मक संबंध होता था (जिसे माई-बाप संबंध भी

कहा गया) किन्तु अंग्रेजों ने जमींदारों को लगान वसूली का एजेंट बनाकर उस भावनात्मक संबंध को तोड़ दिया और जमींदार एक शोषणकारी वर्ग के रूप में उभरने लगा।

- सूर्यास्त का नियम लागू होने के बाद, जमींदारी नीलामी प्रक्रिया आरम्भ होने और लाभ को आधार बनाते हुये सुदूर नगरीय और गैर-जमींदार वर्ग भी नीलामी में भाग लेकर जमींदार बनने लगा जिससे अनुपस्थित/दूरवासी जमींदारी प्रथा का उदय हुआ। इस नये जमींदार वर्ग को न तो कृषि पद्धति की जानकारी थी और ना ही उन्हें किसानों के हितों से कोई मतलब था। उनका एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना था।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

जब इन जमींदारों ने लगान वसूली को प्रभावी बनाने के लिए अपने जमींदारी क्षेत्र में एजेंट रखने शुरू कर दिये तो इससे उप-सामंतीकरण को बढ़ावा मिला और किसानों का शोषण बढ़ने लगा, यह किसानों के लिये इतना अधिक कष्टकारी था कि कहा जाने लगा युद्ध, अकाल, और महामारी के नीचे अनुपस्थित जमींदारी थी, जो किसानों के लिये अधिक कष्टकारी साबित हुई।

- जमीन का क्रय-विक्रय होने लगा जिससे जोत का आकार घटने लगा और बाद के दिनों में जमींदारी क्षेत्र में उत्पादन में भी गिरावट दर्ज की जाने लगी।

राजस्व वसूली में नकद को अधिक महत्व दिये जाने के कारण इन क्षेत्रों में वाणिज्यिक फसलों को बढ़ावा दिया गया और चुंकि इन फसलों की खेती में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और इनकी कीमतों में उतार-चढ़ाव भी अधिक होता है। अत: किसान साहूकार और महाजनों के मृगजाल में फंसते गये और वे किसान से कृषक मजदूर बनने को विवश हो गये।

अंग्रेजों के लिये यह व्यवस्था सामान्यत: लाभदायक मानी गयी क्योंकि उन्हें निश्चित राजस्व मिलने से साम्राज्य विस्तार व प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण में सहायता मिली तथा भारत जैसे अपनी देश में एक ऐसा सामाजिक मित्र भी मिला जो प्रतिकूल समय में अंग्रेजों के साथ खड़ा हो। उदाहरणत: 1857 के महाविद्रोह में बड़े जमीदारों ने अंग्रेजों का साथ दिया।

किन्तु इसकी तरफ राजस्व की दर स्थायी होने के कारण अपनी जरूरत के समय सरकार राजस्व वृद्धि ना कर सकी और साथ ही इस व्यवस्था में किसानों के बढ़ते शोषण ने अंग्रेजों के नैतिक शासन के प्रचार के झूठ का पर्दाफाश कर दिया इसीलिये बाद के दिनों में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध अनगिनत कृषक विद्रोह हुये और इसकी समीक्षा के लिये गठित फ्लाउड आयोग ने भी इसकी आलोचना की और इसी आधार पर कहा गया "श्रेष्ठतम मंतव्यों से प्रेरित होने के बावजूद जमींदारी/ स्थायी बन्दोबस्त भयंकर भूल का मामला साबित हुआ।